मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ४६९/२०१७,
बबली आदिवासी उम्र २२ वर्ष पुत्र श्री मन्टू आदिवासी निवासी मातनपुरा, बबीना थाना बबीना जिला झाँसी
----याची

प्रति

१. पुष्पेन्द्र पुत्र श्री जुगल किशोर निवासी १४९ सारौल थाना बरूआसागर जिला झाँसी
........स्वामी ट्रेक्टर सं. यू.पी.९३ ए एल ३६८०

२. बादाम पुत्र ग्या प्रसाद निवासी नई बस्ती बबीना थाना बबीना जिला झाँसी
........चालक ट्रेक्टर सं. यू.पी.९३ ए एल ३६८०

३. मेग्मा एच.डी.आई. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये क्रेम मैनेजर मेग्मा हाउस २४ पार्क स्ट्रीट कोलकाता- ७०००१६
........बीमा कम्पनी ट्रेक्टर सं. यू.पी.९३ ए एल ३६८०
----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री लल्लन सिंह यादव
विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता- श्री राज तिलक सक्सेना

<u>०५.०३.२०२१</u>

पत्रावली पेश हुयी। याची बबली मय विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं.२ मेग्मा एच.डी.आई. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत याचिका याची द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के कारण **₹४०,४५,०००** प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। याची एवं विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी की ओर से ८७बी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जो उनके विद्वान अधिवक्ता गण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ८७बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याची व विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ८७बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। ८७बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹७,८०,०००** याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याची सुलहनामा ८७बी में दर्शित कुल **₹७,८०,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा ८७बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका सुलहनामा ८७बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ८७बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.२ मेग्मा एच.डी.आई. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹७,८०,००० (सात लाख अस्सी हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं.३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.सी. कोड सं. PUNB ०३६७१ ०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याची बबली आदिवासी को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से ७५ प्रतिशत भाग की ३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जावेगी तथा याची की शेष २५ प्रतिशत भाग याची अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.05 14:35:47 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Acccident Claim Tribunal
Jhansi